अंक
सितंबर, 2022

मासिक न्यूजलेटर

पुनर्नवा

आशाओं के दीप.....हौसले का सूरज

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण राज्य में आपदाओं से होनेवाले नुकसान को कम करने की दिशा में लगातार प्रयासरत है। सामुदायिक स्वयंसेवकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम प्राधिकरण की ऐसी ही एक कवायद है।

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार सरकार

बिहार सरकार

नाव दुर्घटना रोकने के उपाय

मॉनसून के दौरान उफनती नदियों में हर साल नौका दुर्घटना में कई जानें चली जाती हैं। जर्जर नौकाएं, क्षमता से अधिक लदान और अवैध घाटों पर नावों का संचालन दुर्घटनाओं की मुख्य वजह है। प्रशासन मुस्तैदी से दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कृत संकल्पित है। आइए, जानते हैं नौका दुर्घटना रोकने के कौन–कौन–से उपाय किन्हें करने चाहिए :

सवारी करनेवाले रखें ध्यान :

- जिस नाव पर पंजीकरण संख्या अंकित हो, उसी नाव से यात्रा करें।
- नाव चलने से पहले देख लें कि भार आरेख (सफेद पट्टी) का निशान डूबा तो नहीं है। अगर डूबा है, तो तुरंत उतर जाएं।
- जब मौसम खराब हो तो नाव की यात्रा न करें।
- जिस नाव पर जानवर ढोए जा रहे हों, उस पर यात्रा ना करें।
- सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद नाव की सवारी न करें। यह खतरनाक हो सकता है।

नाविक कृपया ध्यान दें :

- जब खराब मौसम, तेज हवा, आंधी–बारिश हो तो नाव का संचालन ना करें।
- लाइफ जैकेट, लाइव ब्वॉय के साथ प्राथमिक उपचार बॉक्स और रस्से आदि ठीक तरीके से नाव पर रखना अनिवार्य है।
- 15 से 30 सवारी वाली नाव पर दो नाविक एवं 30 से अधिक सवारी वाली नाव पर तीन नाविकों का होना अनिवार्य है।
- नाव से पानी निकालने/उलीचने के लिए नाव में आवश्यक बर्तन रखें।
- रात में नावों का परिचालन न करें। यदि आवश्यक हो तो सक्षम प्राधिकार की अनुमति प्राप्त कर विशेष रोशनी के साथ यह कार्य करें।

जिला प्रशासन रहे मुस्तैद

- बिना निबंधन के कोई भी नाव चाहे वह किसी भी उद्देश्य के लिए प्रयोग की जा रही हो, उसका परिचालन गैरकानूनी है।
- सुनिश्चित किया जाए कि नाव पर भार आरेख (सफेद पट्टी) का निशान हर हाल में अंकित रहे।
- नौका संचालन के संबंध में बिहार सरकार के बंगाल नाव घाट अधिनियम 1885 के अधीन आदर्श नियमावली 2011 के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए।
- नजदीकी पुलिस थाना, प्रशिक्षित गोताखोरों का संपर्क नंबर घाटों पर अवश्य प्रदर्शित कराया जाए।

विषय सूची

		पे.नं.
1	संपादकीय	4
2	आपदा में किसानों के साथ खड़ी है सरकार : मुख्यमंत्री	5
3	कवर स्टोरी : सांसों में घुलता जहर	7
4	मेरी कलम से	10
5	दीपावली व छठ पूजा पर सुरक्षा हेतु जरूरी सलाह	11
6	दिव्यांगजनों को आपदाओं में महफूज रखने की तैयारी	12
7	हिंदी दिवस पर दो दिवसीय कार्यक्रम संपन्न	14
8	माननीय मंत्री को दी आपदा जोखिम न्यूनीकरण गतिविधियों की जानकारी	16
9	निर्मला कुमारी : मोबाइल वाणी वाली 'बड़ी दीदी'	17
10	अररिया जिले के युवाओं ने आपदाओं से लड़ने को कसी कमर	19
11	"आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोडमैप" को अद्यतन किए जाने की कवायद	20
12	वज्रपात से बचाव व रोकथाम के उपायों पर मंथन	21
13	राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के स्थापना दिवस समारोह में भागीदारी	22
14	एनसीसी के शिविरों में आपदाओं के बारे में जागरूकता/संवेदीकरण एवं मॉकड्रिल	23
15	बिहार पुलिस सेवा के पदाधिकारी आपदाओं से जूझने को तैयार	24
16	जिला आपदा प्रबंधन योजनाओं का अनुमोदन	25
17	बिहार राज्य फसल सहायता योजना	26

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मासिक न्यूजलेटर पुनर्नवा के सितंबर, 2022 अंक में क्या है खास

पठनीय और रोचक बनाने का प्रयास किया गया है। आसान भाषा में चीजें समझाई गई है। तस्वीरों का इस्तेमाल ज्यादा किया गया है। पाठकों से आग्रह होगा कि इसे एक बार देखें–पढ़ें और अपने अमूल्य सुझाव अवश्य दें।

इस महीने की कवरस्टोरी वायु प्रदूषण पर है। जलवायु परिवर्तन की सबसे बड़ी वजहों में यह शुमार है। संपादकीय में नाव दुर्घटना से होनेवाली मौतों का मुद्दा उठाया गया है। विगत कुछ महीने में दर्जनों जानें नौका दुर्घटना के कारण गई हैं। थोड़ी जागरूकता से कई जानें बच सकती हैं।

संपादकीय

विकास ऐसा हो जो आफत से बचाए,
ऐसा न हो जो कि आफत बन जाए।

संरक्षक मंडल

डॉ. उदय कांत मिश्र, भा.अभि.से. (से.नि.)
उपाध्यक्ष, बि.रा.आ.प्र.प्राधिकरण

पी.एन. राय, भा.पु.से. (से.नि.)
सदस्य, बि.रा.आ.प्र.प्राधिकरण

मनीष कुमार वर्मा, भा.प्र.से. (से.नि.)
सदस्य, बि.रा.आ.प्र.प्राधिकरण

मीनेंद्र कुमार, भा.प्र.से.
सचिव, बि.रा.आ.प्र.प्राधिकरण

वरीय संपादक : कुलभूषण कुमार गोपाल
सहायक संपादक : संदीप कमल

संपादक मंडल

वरीय सलाहकार : नीरज कुमार सिंह, दिलीप कुमार।
परियोजना पदाधिकारी : डॉ. जीवन कुमार, अशोक कुमार शर्मा, प्रवीण कुमार।
आई.टी. : सुश्री सुम्बुल अफरोज, मनोज कुमार

ई.मेल.: sr.editor@bsdma.org
वेबसाइटः www.bsdma.org
सोशल मीडिया :
www.facebook.com/bsdma

नोटः– पुनर्नवा में प्रकाशित आलेख लेखकों के व्यक्तिगत एवं अध्ययन स्वरूप विचार हैं। लेखक द्वारा व्यक्त विचारों के लिए बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण उत्तरदायी नहीं है।

**आपदा नहीं हो भारी,
यदि पूरी हो तैयारी।**

दूरदर्शी सोच

बिहार उन अग्रणी राज्यों में शुमार है जो बढ़ते प्रदूषण की वजह से जलवायु परिवर्तन जैसे वैश्विक खतरे को लेकर सचेत और सतर्क रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसे लेकर कितने गंभीर हैं, इसकी झलक माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स के बयानों से मिलती है। कुछ साल पहले बिल गेट्स जब बिहार के दौरे पर आए और मुख्यमंत्री से मिले तो बहुत प्रभावित हुए। बाद में किसी एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा–'कुछ दिन पहले मैं बिहार के मुख्यमंत्री से मिला तो वे जलवायु परिवर्तन कम करने के मुद्दे पर बात कर रहे थे। जब मैं सिएटल, वॉशिंगटन डीसी या पेरिस में होता हूं, तो वहां जलवायु परिवर्तन एक बड़ा मुद्दा होता है, ऐसी चर्चाएं अमूमन होती हैं। लेकिन पटना जैसी जगह पर मुझसे कोई इस मुद्दे पर बात करेगा, इसकी उम्मीद मुझे कतई न थी। नीतीश कुमार के साथ यह मेरी पहली मुलाकात थी और मैं यह जानकर बहुत प्रभावित हुआ कि वह जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दे को लेकर इतने चिंतित हैं। उन्होंने जलवायु परिवर्तन से निपटने को लेकर हमसे सुझाव भी मांगे।' मुख्यमंत्री की इसी दूरदर्शी सोच का परिणाम है–मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना। 15 सितंबर को इस योजना का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जब सभी जगह सोलर लाइट लग जाएगी तो लोगों को रात में अपने घरों में रौशनी के लिए बेवजह बिजली नहीं जलानी पड़ेगी। हमलोगों का मकसद इसकी सतत् निगरानी करते रहना भी है। राज्य की सभी पंचायतों के वार्डों में सोलर लाइट लगाने की योजना है।

प्रदूषण की रोकथाम में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना अहम है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इस पहल से निश्चित ही जीवाश्म ईंधन से बननेवाली बिजली की खपत कम होगी। राज्य की आबोहवा बदलेगी। बिहार ने हमेशा देश को राह दिखाई है। मुख्यमंत्री की यह योजना अगर सभी राज्यों में लागू की जाए तो देश की तस्वीर बदल सकती है। विकास की अंधी दौड़ बढ़ते वायु प्रदूषण की सबसे बड़ी वजह है। बेहतर जीवनस्तर की चाह समस्या को और बढ़ा रही है। अब भी हम नहीं संभले, तो इसका खमियाजा आनेवाली पीढ़ियों को भुगतना होगा।

सीएम ने आपदा प्रबंधन कार्यों की समीक्षा की, अधिकारियों को दिए निर्देश

आपदा में किसानों के साथ खड़ी है सरकार : मुख्यमंत्री

- अल्प वर्षापात के कारण किसानों को हरसंभव सहायता देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध
- सुखाड़ की स्थिति का बारीकी से आकलन कराएं, किसानों को जल्द बीज उपलब्ध कराएं

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 17 सितंबर को राज्य में अल्प वर्षापात के कारण उत्पन्न स्थिति एवं आपदा प्रबंधन विभाग के कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से संभावित सुखाड़ की स्थिति को लेकर विस्तृत जानकारी ली। समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि अल्प वर्षापात के कारण उत्पन्न स्थिति का हमने हवाई सर्वेक्षण कर जायजा लिया। कुछ जिलों में सड़क मार्ग से जाकर भी स्थिति को जानने का प्रयास किया। इस दौरान कुछ किसानों से भी बात हुई।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रभावित जिलों के गांव–गांव में सुखाड़ की स्थिति का बारीकी से आकलन करें। सभी प्रभावित किसानों को हरसंभव मदद देने की तैयारी रखें। डीजल अनुदान योजना के तहत जो आवेदक बच गए हैं, उन्हें इसका लाभ तेजी से दिलवाएं। उन्होंने कहा कि इधर कुछ दिनों से वर्षा हो रही है। इससे रोपनी और भूजल स्तर सुधरने की उम्मीद की जा सकती है। वैकल्पिक फसल योजना के तहत किसानों को बीज उपलब्ध कराएं ताकि उन्हें कृषि कार्य में राहत मिल सके।

जमीनी हकीकत से हुए रू–ब–रू

बाढ़ व सुखाड़ के खतरे को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्वयं सदैव सतर्क रहे हैं। वे लगातार जिलों में घूम–घूम कर जमीनी हकीकत से रू–ब–रू होते रहे। इसी कड़ी में 11 सितंबर को मुख्यमंत्री ने हवाई सर्वेक्षण कर नालंदा, शेखपुरा, लखीसराय, जमुई, मुंगेर, बांका, भागलपुर, खगड़िया और समस्तीपुर जिले में अल्प वर्षापात के कारण उत्पन्न संभावित सुखाड़ की स्थिति का बारीकी से जायजा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। हवाई सर्वेक्षण के दौरान उन्होंने गंगा और कोसी नदी के जलस्तर का भी जायजा लिया। मुख्यमंत्री सड़क व हवाई मार्ग से लगातार ऐसे दौरे–सर्वेक्षण करते रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को आश्वस्त करना होगा कि आपदा की स्थिति में सरकार उनके साथ है। हमलोग बाढ़ व सुखाड़ की स्थिति में हर वर्ष प्रभावित लोगों की मदद करते हैं। वज्रपात के कारण लोगों की मृत्यु हो जाती है। यह दुखद है। इस बारे में लोगों को सतर्क करें। आंगनबाड़ी सेविका, जीविका समूह, कृषि सलाहकार आदि के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम करें।

बैठक में कृषि विभाग के सचिव श्री एन सरवण कुमार ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से अल्प वर्षापात के कारण उत्पन्न स्थिति की जिलावार व प्रखंडवार जानकारी दी। 10 सितंबर तक धान की रोपनी की स्थिति के बारे में उन्होंने विस्तार से बताया। आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव श्री संजय कुमार अग्रवाल ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से आपदा प्रबंधन की विभिन्न योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने इस वर्ष वज्रपात के कारण लोगों की हुई मृत्यु के बारे में बताया। तड़ित चालक लगाने हेतु सरकारी भवनों एवं संस्थानों को चिन्हित किए जाने के संबंध में जानकारी दी।

बैठक में आपदा प्रबंधन मंत्री श्री शाहनवाज, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डॉ. उदय कांत मिश्र, प्राधिकरण के सदस्यद्वय श्री पीएन राय, श्री मनीष कुमार वर्मा समेत राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे। **(स्रोत : आईपीआरडी)**

कवर स्टोरी : सांसों में घुलता जहर

लगातार बढ़ रहे वायु प्रदूषण से जलवायु परिवर्तन को गंभीर खतरा

–संदीप कमल–

हमारे देश में गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, आदि जैसे गंभीर मसलों पर तो बातें होती हैं, पर प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दे पर जिस शिद्दत से बात होनी चाहिए, नहीं हो पाती। समस्या जबकि साल–दर–साल बढ़ती ही जा रही। प्रदूषण की वजह से दुनिया भर में होने वाली मौतों का आंकड़ा डराता है। विश्व के सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में हमारे भी शहर शामिल हैं। पटना और मुजफ्फरपुर जैसे शहरों की एयर क्वालिटी इंडेक्स (वायु गुणवत्ता सूचकांक) अत्यंत ही खराब है। इस समस्या की वजह से न सिर्फ हमारा स्वास्थ्य बल्कि पूरा पर्यावरण प्रदूषित हो रहा। जहरीली हवा में सांस लेना जानलेवा साबित हो रहा है। भारत में बढ़ती जनसंख्या के कारण लोगों की जरूरतें भी बढ़ रही हैं। बदलते भौतिक परिवेश और प्रतिस्पर्धा से चीजें और दुरूह हुई हैं। हमारी आवश्यकता को पूरा करने के लिए हर क्षेत्र में नए निर्माण हो रहे हैं। वनों को बर्बाद कर कंक्रीट का जंगल आबाद कर रहे हैं।

वातावरण पर वायु प्रदूषण का प्रभाव

1. वायु प्रदूषण के कारण सामान्य तापमान में वृद्धि हो गई है और पिछले दस सालों से सर्दियां लगातार कम होती जा रही हैं।

2. वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों के कारण ओजोन परत भी घटती जा रही है जिससे तापमान में वृद्धि हो रही है।

3. स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ता है। दूषित हवा से सांस लेने में परेशानी, सीने में जकड़न, आंखों में जलन आदि जैसी समस्याएं होती हैं।

दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश का पश्चिमी व मध्य भाग सर्दियों में हर साल वायु प्रदूषण की सबसे गंभीर समस्या से जूझता है। पराली का धुआं लोगों का जीना मुहाल कर देता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के बढ़ते स्तर के लिए मुख्य रूप से पुराने वाहन, बिजली संयंत्र, उद्योगों से निकलता धुआं, और खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होता दूषित ईंधन जिम्मेवार है। प्रदूषण के चलते तमाम हानिकारक गैसें वायुमंडल में उत्सर्जित होती हैं। यह जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा देती हैं।

वायुमंडल में धूल और गंदगी का अंबार

जलवायु परिवर्तन से होने वाले नुकसान का असर आज भले ही हमें कम दिख रहा हो, भविष्य में जिंदगियां इससे तबाह होंगी, इसमें कोई दोमत नहीं। सरकारों की सक्रियता इन्हीं दो–तीन महीनों में दिखती है फिर सब अपने पुराने ढर्रे पर आ जाता है। पराली के अलावा हर साल लाखों की संख्या में सड़कों पर उतरने वाली गाड़ियों के जहरीले धुएं, सड़कों और निर्माण स्थलों से उड़ने वाली धूल, कारखानों से निकलने वाला जहरीला धुआं वायु प्रदूषण को और गंभीर बना रहा। बिहार में हालात इतने खराब हुए तो इसकी बड़ी वजह बहुत हद तक निर्माण कार्यों में उड़ने वाली धूल है। निर्माण में आधुनिक और वैज्ञानिक तरीकों का इस्तेमाल नहीं होता। परंपरागत तरीके से आधारभूत ढांचे के निर्माण से वायुमंडल में धूल और गंदगी का अंबार हमें चारों ओर देखने को मिलता है।

शहर में प्रदूषण का स्तर खतरनाक बढ़ेगी स्वास्थ्य की समस्या

स्विस संगठन आईक्यू एयर की ओर से जारी 2021 की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट बिहार के लिए खतरे की घंटी है। दुनियाभर के प्रदूषित शहरों की लिस्ट में बिहार की राजधानी पटना और मुजफ्फरपुर भी शामिल हैं। दोनों शहर टॉप 30 लिस्ट में क्रमशः 21वें और 27वें नंबर हैं। वहीं इस रैंकिंग में हाजीपुर 65वें और गया 121वें स्थान पर मौजूद है। रिपोर्ट के अनुसार बिहार की हवा बदल रही है और इसमें 2.5 में बढ़ोतरी ये बताने के लिए काफी है कि इस पर तत्काल कार्रवाई नहीं की गई तो ये पूरे बिहार के स्वास्थ्य की समस्या का विषय होगा।

प्रदूषण से हर साल लगभग 1.2 लाख नवजात शिशुओं की मौत

अमेरिका स्थित शोध संस्थान हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के मुताबिक वर्ष–2019 में वायु प्रदूषण के चलते विश्वभर में 4.76 लाख से ज्यादा नवजातों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। भारत में वायु प्रदूषण से हर साल लगभग 1.2 लाख नवजात शिशुओं की मौत होती है। भारत के बाद नाइजीरिया में हर साल 67,869, पाकिस्तान में 56,519, इथियोपिया में 22,857, कांगों में 11,100, तंजानिया में 12,662 और बांग्लादेश में 10,496 नवजातों की मौत की वजह वायु प्रदूषण था। संस्थान द्वारा जारी रिपोर्ट से पता चला है कि 2010 से 2019 के बीच जिन 20 शहरों में पीएम 2.5 में सबसे ज्यादा वृद्धि दर्ज की गई थी उनमें से 18 शहर भारत में थे।

लॉकडाउन में हवा शुद्ध हुई, आसमान साफ

यहां यह बात काबिलेगौर है कि कोविड –19 के दौरान वर्ष 2020 में सरकार की ओर से लगाए गए लॉकडाउन के कारण लोगों की गतिविधियों पर अंकुश लगा था। जिसका नतीजा ये था कि पूरे देश और दुनिया भर की एयर क्वालिटी इंडेक्स में सुधार हुआ। नेपाल से सटे बिहार के सीमावर्ती जिलों से हिमालय की पर्वत श्रृंखला साफ नजर आती थी। हवा शुद्ध हुई, आसमान साफ हुआ। लेकिन लॉकडाउन हटते ही काम तमाम हुआ। वायु प्रदूषण से बचाव के उपाय हैं जिन्हें हर व्यक्ति निजी स्तर पर अपनाना शुरू करे तो यह प्रदूषण बहुत हद तक कम किया जा सकता है।

राज्स सरकार गंभीर, सुरक्षित शनिवार में प्रदूषण की भी होती है चर्चा

मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत सुरक्षित शनिवार की वार्षिक सारणी के अनुसार अक्टूबर माह के तीसरे शनिवार का विषय है प्रदूषण। दिवाली के पटाखों से तथा आतिशबाजी से होनेवाले वायु प्रदूषण तथा वातावरण में उत्पन्न प्रदूषण से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं, जोखिम एंव खतरों से बचाव के संदर्भ में जानकारी देना। लापरवाही के कारण पटाखों से जलने से होनेवाली दुर्घटनाओं से बचाव के लिए क्या करें,

एवं क्या ना करें की जानकारी दें। सभी फोकल शिक्षकों एवं बाल प्रेरकों से आग्रह है इस विषय के संदर्भ में विस्तृत जानकारी देकर जागरूक करने का प्रयास करें। अधिक जानकारी के लिए दूरदर्शन के डीडी बिहार चैनल पर मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम के अंतर्गत सुरक्षित शनिवार का 24वां एपिसोड, जो 17 अक्टूबर, 2021 को प्रसारित किया गया था, जरूर देखें। **(साभार : ओआरएफ.ओआरजी, सहयोग : अपराजिता)**

वायु प्रदूषण के कारण

1. बहुत सारे उद्योग और पावर प्लांट हैं जहां से दूषित धुएं का उत्सर्जन होता है और यही धुआं हवा में मिलकर हवा को भी प्रदूषित करता है।

2. बढ़ती आबादी के साथ निजी वाहन भी बढ़ रहे हैं। सार्वजनिक वाहनों की जगह निजी वाहनों का इस्तेमाल करने से गाड़ियों से निकलने वाला दूषित धुंआ हवा में प्रदूषण फैलाता है।

3. कारखानों और फैक्टरियों की चिमनियों से लगातार भारी मात्रा में कार्बन मोनोऑक्सइड, एवं अन्य रासायनिक धुंए का उत्सर्जन होता है जो वायु प्रदूषण बढ़ाता है।

4. घरों और ऑफिस में लगे एयर कंडीशनर से क्लोरोफ्लोरो कार्बन निकलते हैं जो हमारे वातावरण को गंभीर रूप से दूषित करते हैं और साथ ही ओजोन परत को भी नुक्सान पहुँचाती है।

5. फसल कटने के बाद किसानों द्वारा जलाई जानेवाली पराली और दीवाली पर जलाये जाने वाले पटाखों के कारण भी प्रदूषण होता है।

वायु प्रदूषण से बचाव के उपाय

1. निजी वाहनों की जगह सार्वजनिक वाहनों का इस्तेमाल करें क्योंकि सड़क पर जितनी कम गाड़ियाँ रहेंगी उतना कम प्रदूषण भी होगा। साइकिल के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

2. हमारी दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए इस्तेमाल होने वाली बिजली जीवाश्म ईंधन से बनती है और इससे निकलने वाला धुआं हमारे वातावरण के लिए बेहद खतरनाक होता है।

3. सौर ऊर्जा का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। घरों में सोलर पैनल लगवाने के साथ ही सौर ऊर्जा पर चलने वाले वाहनों का इस्तेमाल किया जा सकता है।

4. बगीचे की सूखी पत्तियों को जलाने की जगह उनका खाद बनाकर बगीचे में ही इस्तेमाल करें।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार

जब तक जल और हरियाली है, तभी तक जीवन सुरक्षित है। जल और हरियाली के बिना चाहे मनुष्य हो या जीव–जंतु या पशु–पक्षी किसी के अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती है। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को सीमित करने, पारिस्थिकीय असंतुलन का संधारण करने तथा जल संरक्षण एवं संचयन के उद्देश्य से राज्य सरकार के द्वारा जल जीवन हरियाली अभियान प्रारंभ किया गया है।

मेरी कलम से

(कविता के माध्यम से डेंगू से बचाव की जानकारी देने की छोटी–सी कोशिश। <u>अपराजिता कुमारी</u> की लेखनी से)

ये मच्छर
ये मच्छर सभी को
बीमार बना सकता है
सर्दी हो, गर्मी हो, गांव हो,
शहर हो गंदे पानी में,
कूड़े के ढेर में, सभी जगह
मिल जाता है

सुबह में, शाम में, प्रकोप
इसका बढ़ जाता है,
कभी डेंगू, कभी मलेरिया,
कभी जीका, कभी
चिकनगुनिया ये फैला सकता है

एडिज मच्छर डेंगू का
बीमार बना सकता है
डेंगू का मच्छर साफ पानी
में भी पनप सकता है

डेंगू में तेज बुखार, सिरदर्द,
मांसपेशियों मे दर्द और
जोड़ों में दर्द खून में प्लेटलेट
कम कर पूरा कमजोर
बना सकता है

तेज बुखार, नाक मसूड़ों से
खून आए, शौच, उल्टी से
खून आए, त्वचा पर गहरे
नीले काले चकते
हो तो डॉक्टर को जरूर
दिखाना होगा

यह मच्छर सभी को
बीमार बना सकता है
बचना है यदि, सबको
डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया से
तो संकल्प सभी को लेना होगा

गंदे पानी का संग्रह
ना होने देना होगा,
कूड़े–कचरे का हमेशा
निस्तारण भी करना होगा
डीडीटी का छिड़काव भी
जरूर करवाना होगा

कूलर, टंकी साफ रखने की
आदत को अपनाना होगा
सोते समय मच्छरदानी के
प्रयोग को अपनाना होगा
खिड़की–दरवाजों में जाली
का प्रयोग अपनाना होगा

संकल्प लेकर डेंगू
मलेरिया, चिकनगुनिया से
सब को बचाना
और जागरूक
करना होगा

क्योंकि ये मच्छर सभी को
बीमार बना सकता है।

(कवयित्री गोपालगंज जिले में शिक्षिका हैं और आपदा प्रबंधन विषयों में इनकी गहरी दिलचस्पी है।)

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
सुरक्षित दीपावली पूजा हेतु सलाह (Advisory)
दीपावली भारतवर्ष के प्रमुख त्यौहारों में से एक है। इस मौके पर लोग अपने घरों को रौशनी से जगमगाते हैं और अपनी खुशियों को व्यक्त करने के लिए पटाखे छोड़ते हैं। लेकिन जरा सी असावधानी के कारण हर साल हजारों लोग इन्हीं पटाखों के कारण न सिर्फ झुलस जाते हैं वरन् अस्थायी अपंगता तक के शिकार हो जाते हैं। यह दीपावली खुशियों से आबाद रहे और आपका परिवार पूरी तरह सुरक्षित रहे इसके लिए निम्नलिखित बातों पर ध्यान दें।
क्या करें
जले हुए पटाखों को पानी की बाल्टी में डाल दें।
पटाखें जलाते समय पास में पानी से भरी बाल्टी रखें।
दीपावली ज्योति पर्व है इसलिए पटाखें न जलाएँ
चकरी /अनार को समतल जमीन पर ही जलाएँ
आँख में कुछ गिरने पर आखों को पानी से धोएँ, व चिकित्सक को दिखाएँ
यदि बहुत आवश्यक हो तो कम ध्वनि एवं कम ज्वलनशील पटाखें ही जलाएँ
पटाखों को शरीर से दूर रखकर जलाएँ
पटाखे जलाते समय बच्चों पर नजर रखें।
क्या न करें
पटाखें न जलाएँ
पटाखें को हाथ में रख कर न जलाएँ
यदि आँख में कुछ कण गिर जाएं तो जबरदस्ती निकालने का प्रयास न करें
आधे जले या न जल सके (Misfired) पटाखें को पुनः जलाने का प्रयास न करें
घर के अंदर पटाखें न जलाएँ
हवा में उड़ने वाले पटाखों को जलाने से परहेज करें
पटाखें जलाते समय ढीले या सिन्थेटिक कपड़े न पहने।
शुभ दीपावली
सुरक्षित दीपावली
प्राथमिक उपचार
1 सर्वप्रथम घायल व जले हुए व्यक्ति को अग्नि वाले स्थान से हटायें
2 अगर जलने के बाद दर्द हो रहा है तो इसका मतलब है हालत गंभीर नहीं है।
3 ऐसे में जले हुए हिस्से को पानी की धार के नीचे रखें।
4 जले हुए भाग पर राख, मिट्टी पाउडर, बटर, ग्रीस तथा कोई अन्य पदार्थ न डालें।
5 जले हुए भाग को साफ सूती कपड़ों से ढक दिया जाएँ।
6 प्राथमिक उपचार के बाद या अधिक जल जाने के स्थिति में पीड़ित को नजदीकी अस्पताल में दिखाएँ।
द्वितीय तल, पंत भवन, बेली रोड, पटना-800001
Tel. +91 (0612) 2547232, Fax, +91 (0612) 2547311, visit : www.bsdma.org; e-mail : info@bsdma.org
संपर्क करें : बिहार अग्नि शाम सेवा, 0612-2222223, 7485805820 राज्य आपदा संचालन केन्द्र, बिहार, फोन नं0- 0612-2294204

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
सुरक्षित छठ पूजा हेतु सलाह (Advisory)
प्रत्येक वर्ष लोक आस्था का महान पर्व छठ पूजा लोगों द्वारा बहुत श्रद्धा एवं उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस दौरान व्रती पवित्र गंगा सहित नदियों, तालाबों, नहरों के किनारे डूबते एवं उगते सूर्य को अर्घ्य देने हेतु भारी संख्या में इक्ट्ठा होते हैं। इस दौरान घाटों पर व्रतियों के साथ भाड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जुटती है। ऐसे में भीड़ में किन्ही के द्वारा थोड़ी सी असावधानी बरतने पर बड़े हादसे हो जाते हैं। जो संबंधित व्यक्ति एवं परिवार के लिए त्रासद है। इन हादसों को रोकने के लिए निम्नलिखित बातों पर ध्यान दें-
सामान्य नागरिक
क्या करें
प्रशासन द्वारा जाने वाले निर्देशों का पालन करें।
निर्धारित मार्गों पर ही चलें और गाड़ियाँ निर्धारित स्थानों पर ही पार्क करें।
महिलाओं/बुजुर्गों के पास अपने घर का पता और फोन नं. अवश्य रखें।
छठ पर्व के दौरान घाटों पर सफाई का विशेष ध्यान रखें।
किसी प्रकार की समस्या होने पर अधिकृत पदाधिकारियों/स्वयं सेवकों से ही संपर्क करें।
यदि आप छोटे बच्चों को छठ पर्व में घाटों पर लेकर जा रहे हैं तो उनकी जेबों में (या गलों में लॉकेट की तरह) घर का पता एवं फोन नं. अवश्य रख दें।
अगर आवश्यक हो तो हेल्पलाईन नंबरों पर फोन कर के बात करें।
क्या न करें
बैरिकेडिंग को न पार करें और खतरनाक घाटों की ओर या गहरे पानी में न जायें।
छठ पूजा क्षेत्र में कही भी आतिशबाजी न करें।
किसी भी प्रकार की गंदगी न फैलाएँ।
अफवाहें न फैलाएँ न उन पर विश्वास करें।
प्रशासन क्या करें
खतरनाक घाटों का चिह्नीकरण एवं बैरिकेडिंग करें ताकि श्रद्धालु वहां न जायें
घाट जाने के मार्गों तथा घाटों पर समुचित प्रकाश की व्यवस्था हो।
मार्गों का चिह्नीकरण/संकेतीकरण किया जाए।
घाट पर जानेवाले रास्तों की समुचित साफ-सफाई हो।
बिजली के जर्जर तारों को बदल दिया जाये एवं अबाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाए।
घाटों की अच्छी प्रकार से सफाई की जाए।
घाटों पर साफ पेयजल की व्यवस्था की जाए।
पब्लिक ऐड्रेस सिस्टम के माध्यम से भीड़ का नियंत्रण एवं अन्य सूचनाओं का प्रसारण किया जाए।
छठ पर्व में तैनात विभिन्न महत्वपूर्ण एजेंसियों के पदाधिकारियों/ कर्मचारियों की पहचान के लिए अलग अलग रंग के जैकेट की व्यवस्था हो, जिस पर उनके द्वारा प्रदान की जानेवाली सेवा भी अंकित हो।
सभी हितधारकों के बीच समन्वय स्थापित करें
आतिशबाजी पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध हो।
अग्निशाम की गाडियों की तैनाती पहले से ही संवेदनशील स्थानों पर की जाए।
नहाय-खाय के दिन से ही निजी नावों के संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध हो।
अस्पतालों में किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने की व्यवस्था हो।
छठ पूजा समितियों के स्वयं-सेवकों का छठ पर्व के प्रबंधन में सहयोग लिया जाए।
घाटों पर गोताखोरों एवं एनडीआरएफ/एसडीआरफ टीमों की आवश्यकतानुसार प्रतिनियुक्ति की जाए।
घाट पर विभिन्न स्थानों पर 'हेल्प लाईन' के नम्बरों का प्रदर्शन किया जाए।
द्वितीय तल, पंत भवन, बेली रोड, पटना-800001
Tel. +91 (0612) 2547232, Fax, +91 (0612) 2547311, visit : www.bsdma.org; e-mail : info@bsdma.org
संपर्क करें : बिहार अग्नि शाम सेवा, 0612-2222223, 7485805820 राज्य आपदा संचालन केन्द्र, बिहार, फोन नं0- 0612-2294204

दिव्यांगजनों को आपदाओं में महफूज रखने की तैयारी

कई दौर की बैठकों व कार्यशालाओं में हितभागियों और विशेषज्ञों ने किया विमर्श

ट्रेनिंग का जो भी मॉड्यूल बने, उसमें सम्प्रेषणनीयता होनी चाहिए : डॉ उदय कांत मिश्र

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण दिव्यांगजनों को आपदाओं में महफूज रखने की तैयारी में जुटा है। इस बाबत तैयार किए जा रहे ट्रेनिंग मॉड्यूल पर विमर्श के लिए सितंबर माह में हितभागियों और विशेषज्ञों की कई दौर में बैठकें आयोजित की गई। कार्यशाला का आयोजन किया गया। 1 सितंबर को प्राधिकरण में आयोजित बैठक में मूक–बधिर विद्यालय, दृष्टिहीन विद्यालय व दिव्यांगजनों के हितार्थ काम करने वाली संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने शिरकत की। माननीय उपाध्यक्ष डॉ उदय कांत मिश्र ने कहा कि ट्रेनिंग का जो भी मॉड्यूल बने, उसमें सम्प्रेषणनीयता होनी चाहिए। दिव्यांग बच्चों को हम जो समझाना–बताना चाह रहे, उसे उन्होंने संपूर्णता में ग्रहण किया या नहीं, इस कसौटी पर यह खरा उतरना चाहिए। दिव्यांग स्कूल व संस्थाओं के शिक्षक–प्रशिक्षक के लिए अलग मॉड्यूल, वहीं दिव्यांगजनों के लिए अलग ट्रेनिंग मॉड्यूल बनाया जाएगा। बैठक में माननीय सदस्य श्री पी एन राय ने भी कई अहम सुझाव दिए।

पुनः आगामी 3 सितंबर को प्राधिकरण सभागार में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें नेत्रहीन विद्यालय, मूक–बधिर विद्यालय और दिव्यांगजनों के बीच काम करने वाली स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। ट्रेनिंग मॉड्यूल का ड्राफ्ट तैयार करने वाली कमेटी ने इस विषय पर गहन माथापच्ची की। इस कमेटी में दृष्टिहीन, शारीरिक रूप से कमजोर, मूक–बधिर भी शामिल हैं। इन्होंने आपदा के वक्त अपनी परेशानियों और जरूरतों से कमेटी के सदस्यों को वाकिफ कराया। कमेटी में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और बिहार अग्निशमन सेवा के विशेषज्ञ भी शामिल हैं। कार्यशाला में विशेषज्ञों के तमाम विचारों पर गौर किया गया। दिव्यांगजन संबंधी आपदा जोखिम न्यूनीकरण प्रशिक्षण मॉडयूल बनाने के लिए 07 सितंबर को सभागार में विशेषज्ञ समूह की फिर एक बैठक हुई। बैठक में एसडीआरएफ के समादेष्टा (सेकंड इन कमान) केके झा ने विभिन्न आपदाओं से सुरक्षा के लिए पीपीटी के माध्यम से समूह सदस्यों के साथ मशविरा किया। सभी हितभागियों को ध्यान में रख दिव्यांगजन प्रशिक्षण मॉड्यूल को शीघ्र ही अंतिम रूप दिया जाएगा।

प्रशिक्षण मॉड्यूल को अंतिम रूप देने के लिए ड्राफ्टिंग कमेटी की 12 सितंबर को प्राधिकरण सभागार में हुई बैठक में विचार—विमर्श किया गया। प्रस्तावित ट्रेनिंग मॉड्यूल की हार्ड कॉपी सभी हितभागियों को शीघ्र उपलब्ध करा दी जाएगी। इसमें आवश्यक संशोधन के बाद इसे अमलीजामा पहनाया जाएगा। प्रशिक्षण प्राप्त यही शिक्षक—प्रशिक्षक फिर बच्चों को समझ आनेवाली उनकी आसान भाषा में आपदाओं से बचने के गुर सिखाएंगे। आपदा की घड़ी में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसके लिए उन्हें तैयार किया जाएगा। बैठक में प्राधिकरण के माननीय सदस्य श्री पीएन राय ने प्रशिक्षण के लिए तैयार की गई विशेष पीपीटी की वॉइस ओवर किसी विशेषज्ञ से करवाने का निर्देश दिया। बैठक में एसडीआरएफ के सेकेंड इन कमांड श्री केके झा ने प्रेजेंटेशन दिया। अग्निशमन सेवा के पदाधिकारी और दिव्यांग विद्यालयों—संस्थानों के प्रतिनिधियों ने भी अपने—अपने सुझाव दिए।

200 दिव्यांग छात्रों ने ली आपदाओं से बचने की जानकारी

आशादीप दिव्यांग पुनर्वास एवं शिक्षण संस्थान में एसडीआरएफ ने किया मॉकड्रिल

विभिन्न आपदाओं की स्थिति में सुरक्षित कैसे रहें, इसकी जानकारी दिव्यांग छात्र—छात्राओं को दी गई। राजधानी के दीघा घाट स्थित आशादीप दिव्यांग पुनर्वास एवं शिक्षण संस्थान के लगभग दो सौ से अधिक दिव्यांग बालक एवं बालिकाओं के साथ—साथ संस्थान के 20 शिक्षकों—प्रशिक्षकों को विशेषज्ञों ने आपदाओं से लड़ने के गुर सिखाए। प्राधिकरण के बैनर तले एसडीआरएफ द्वारा आयोजित मॉकड्रिल में उन्हें भूकंप, वज्रपात, डूबने की स्थिति में बचने के उपाय, सर्पदंश, अगलगी आदि आपदाओं में स्वयं को बचाने के साथ—साथ दूसरों को भी बचाने की जानकारी दी गई। संस्थान के दिव्यांग बच्चों को मॉकड्रिल में शामिल कर बचने और बचाने का अभ्यास भी कराया गया। चूंकि संस्थान में सभी बच्चे मूक—बधिर, बौद्धिक रूप से दिव्यांग व शारीरिक रूप से कमजोर हैं, इसलिए आपदाओं की स्थिति में बचने और बचाने की चुनौती के मद्देनजर उनसे अभ्यास कराकर जानकारी दी गई। उन्हें सभी जानकारी मूक—बधिर को पढ़ानेवाले साइन लैंग्वेज के शिक्षकों द्वारा दी गई। मॉकड्रिल में एसडीआरएफ के कमांडेंट, सेकंड इन कमान श्री केके झा खुद शामिल थे। इस अवसर पर संस्थान की प्रबंधक सिस्टर लिसी एम. और प्राचार्य सिस्टर लिसिल, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के वरीय संपादक कुलभूषण भी मौजूद थे।

हिंदी दिवस पर दो दिवसीय कार्यक्रम संपन्न

सरकारी कार्य में सहज व सरल हिंदी का करें प्रयोग : पद्मश्री प्रो. उषा किरण खान

भाषा आत्मा तो शिक्षा शरीर है, हिंदी को मिले राष्ट्रभाषा का दर्जा : डॉ. राजवर्द्धन आजाद

हिंदी दिवस के पावन अवसर पर बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में दो दिवसीय (14–15 सितंबर, 2022) कार्यक्रम आयोजित किया गया। पहले सत्र में प्राधिकरण परिवार से जुड़े लोगों के बीच काव्य पाठ व अन्य प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। दूसरे सत्र में व्याख्यान, पुरस्कार वितरण का आयोजन किया गया। प्रख्यात साहित्यकार, लेखिका पद्मश्री प्रो. उषा किरण खान और प्रसिद्ध नेत्र चिकित्सक, लेखक और बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉ. राजवर्द्धन आजाद ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। इस मौके पर प्राधिकरण के माननीय उपाध्यक्ष डॉ. उदय कांत मिश्र, माननीय सदस्यद्वय श्री पीएन राय व श्री मनीष वर्मा और सचिव श्री मीनेंद्र कुमार भी मौजूद रहे।

"सरकारी कार्यालयों में हिंदी का प्रयोग" विषय पर आयोजित व्याख्यान में पद्मश्री प्रो. उषा किरण खान ने कहा कि सरकारी कार्यों में सरल व सहज हिंदी का प्रयोग करना चाहिए। हिंदी के कठिन शब्दों के इस्तेमाल की चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि आकाशवाणी की कृषि चर्चा में अक्सर एक शब्द का प्रयोग होता है–मृदा। किसान अगर कम पढ़ा लिखा है तो वह कैसे इसे समझ पाएगा। इससे हमें बचना चाहिए। अगर ऐसे कठिन शब्दों की जगह समझ में आने वाले शब्द उर्दू या अंग्रेजी के भी हैं, तो हमें उसका इस्तेमाल करना चाहिए। हिंदी एक समावेशी भाषा है। उन्होंने कहा कि हिंदी दिवस मनाने की जरूरत बिहार जैसे प्रांत में नहीं है। बोलियां भले अलग–अलग हैं। लेकिन हिंदी हमारी रग–रग में है। उत्सव के रूप में इस दिवस को मनाएं। प्रो. खान ने अफसोस जताते हुए कहा कि हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता मिलने के 73 साल बाद भी हम देश भर में मान्य सरकारी या तकनीकी शब्दावली नहीं बना सके। अंग्रेजी का एक ही शब्द अलग–अलग तरीके से अलग–अलग राज्यों में लिखा जाता है।

अपने संबोधन प्रो. खान ने मौजूद लोगों से आग्रह किया कि भाषा के विकास के लिए हिंदी साहित्य खरीद कर पढ़ा करिए। गड़बड़ी वहीं से शुरू हो जाती है, जब सारा काम हम करते अंग्रेजी में हैं और लिखना हिंदी में चाहते हैं। उन्होंने बताया कि जब वह स्नातक कर रही थीं तब कई विषयों की परीक्षा अंग्रेजी में लिखनी होती थी। इसका हम छात्रों ने बहुत विरोध किया। पटना में आकर आत्मदाह करने पर छात्र उतारू थे। उसके बाद हिंदी को मान्यता मिली।

"भाषा का शैक्षिक महत्व" विषय पर आयोजित व्याख्यान में डॉ. राजवर्द्धन आजाद ने कहा कि हिंदी हिंदुस्तान की भाषा है। देश के कोने–कोने में बोली जाती है। हिंदी हमारी राजभाषा है। इसे राष्ट्रभाषा का दर्जा मिलना चाहिए। अनेकता में एकता की बात होती है। हिंदी में वह ताकत है कि हमें एकता के सूत्र में पिरो सके। हिंदी को अगर राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता मिलती है, तो इससे देश मजबूत होगा। हिंदी का प्रचार–प्रसार हो, आज के दिन हमें यही संकल्प लेने की जरूरत है। कम से कम हस्ताक्षर तो हम हिंदी में करना शुरू करें। उन्होंने कहा कि भाषा का क्षेत्र बहुत व्यापक है। दुनिया में लाखों आविष्कार हुए। लेकिन भाषा से बड़ा आविष्कार कुछ नहीं हो सकता। भाषा आपस में संवाद का जरिया है। इंसान को इंसान से, विज्ञान से, तकनीकी से, दुनिया से जोड़ने का माध्यम है।

डॉ. राजवर्द्धन आजाद ने कहा कि भाषा और शिक्षा एक–दूसरे के पूरक हैं। भाषा आत्मा, तो शिक्षा शरीर है। एक–दूसरे के बिना हम इनकी कल्पना नहीं कर सकते। डॉ. आजाद ने कहा कि शिक्षा का स्तर अगर नीचे जा रहा है, तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ शिक्षक जिम्मेवार हैं। छात्र को हम दोषी नहीं ठहरा सकते। समारोह के अंत में प्राधिकरण के समस्त कर्मियों ने हिंदी में हस्ताक्षर करने का संकल्प लिया। सर्वश्रेष्ठ काव्य रचना के लिए डॉ. मंजू दुबे, श्री अनूप कुमार और श्री श्रवण कुमार को पुरस्कृत किया गया। लेखक, कवि श्याम दत्त मिश्र बतौर निर्णायक समारोह में मौजूद रहे।

माननीय मंत्री को दी आपदा जोखिम न्यूनीकरण गतिविधियों की जानकारी

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के एक प्रतिनिधिमंडल ने 06 सितंबर को राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मो. जमा खान से शिष्टाचार मुलाकात की। प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डॉ उदय कांत मिश्र, सदस्य श्री पीएन राय व सचिव श्री मीनेंद्र कुमार ने मंत्री महोदय को प्राधिकरण के कार्यों व गतिविधियों से अवगत कराया। प्राधिकरण के बैनर तले आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों की जानकारी उन्हें दी गई। मंत्री महोदय को भूकंपरोधी भवनों के निर्माण, सामुदायिक स्वयंसेवकों का प्रशिक्षण, मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम, सुरक्षित तैराकी कार्यक्रम, सड़क सुरक्षा और दिव्यांगजनों को आपदाओं से बचाने आदि कार्यक्रमों के बारे में बताया गया। मंत्री महोदय ने प्राधिकरण के कार्यों की सराहना की और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की ओर से हरसंभव मदद का भरोसा दिया। इस मौके पर प्राधिकरण परिवार की ओर से श्री शंकर कुमार मिश्र, श्री कुंदन कौशल और श्री संदीप कमल भी मौजूद रहे।

विमर्श के दौरान प्राधिकरण के माननीय उपाध्यक्ष ने आपदा से जुड़े उन तमाम पहलुओं की विस्तार से चर्चा की जो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय से ताल्लुक रखते हैं। आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोडमैप की एक प्रति मंत्री महोदय को सौंपते हुए उनसे गुजारिश की गई कि अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के सारे कार्य इसमें उल्लिखित हैं। विभागीय पदाधिकारियों से इनका अध्ययन करवा लिया जाए और बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का सहयोग करें ताकि राज्य को आपदाओं से होने वाले नुकसान से बचाया जा सके। उपाध्यक्ष महोदय ने कहा कि कोई भी आपदा आती है, तो उससे सबसे ज्यादा प्रभावित गरीब होते हैं। खासकर अल्पसंख्यक और भी ज्यादा प्रभावित होते हैं। अल्पसंख्यक वर्ग समाज की पिछली पंक्ति में खड़ा है। समाज की मुख्यधारा में लाने के लिए उनका हाथ थामने की जरूरत है।

मंत्री महोदय को बताया गया कि राज्य में भूकंप एक बड़ी आपदा है। इससे सर्वाधिक प्रभावित होने वाले जोन–5 के जिलों में हमने कई राजमिस्त्रियों को प्रशिक्षित किया है जो भूकंपरोधी भवनों को बनाने में पारंगत हैं। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय जो भी भवन या आधारभूत संरचना उन जिलों में खड़ा कर रहा, उसमें इन प्रशिक्षित राजमिस्त्रियों को काम का मौका दिया जाए। उनके मोबाइल नंबर, पते प्राधिकरण उपलब्ध करा देगा। मंत्री महोदय से गुजारिश की गई कि जब भी अपने क्षेत्र में जाएं तो प्राधिकरण की ओर से चलाए जा रहे कार्यक्रम मुख्यमंत्री स्कूल सुरक्षा अभियान की प्रगति की जरूर समीक्षा करें। हमें जमीनी हकीकत से अवगत कराएं ताकि हम इस अभियान को और कारगर बना सकें। इस अभियान के तहत अब तक राज्य में ढाई करोड़ से ज्यादा बच्चों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। मदरसों के 2000 शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया है। क्षेत्र की 10 पंचायतों से 50 युवाओं को सामुदायिक स्वयंसेवक के रूप में तैयार करें। हम उन्हें आपदाओं से लड़ने और लोगों को बचाने के लिए प्रशिक्षित करेंगे। मंत्री महोदय ने प्रतिनिधिमंडल की बातें गौर से सुनी और हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया। सुरक्षित तैराकी कार्यक्रम, सड़क दुर्घटना से बचाव जैसे जागरूकता कार्यक्रमों में शरीक होने की इच्छा जताई।

निर्मला कुमारी : मोबाइल वाणी वाली 'बड़ी दीदी'

बिहार के नालंदा जिले में लिखी जा रही मौन क्रांति की गाथा

(किशोरी केंद्र में दिव्यांग निर्मला ने लगभग 50 लड़कियों को पढ़ाया, जिनमें से 30 लड़कियों को उच्च–प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय में फिर से नामांकित किया गया। सामुदायिक शिक्षा और जागरूकता अभियानों में सफलता का यह उनका पहला अनुभव था।)

–मोना–

निर्मला का जन्म बिहार के नालंदा जिले के नगर नौसा ब्लॉक के खापुरा गांव में हुआ था। बचपन में पोलियो की वजह से उनका बायां पैर दिव्यांग हो गया। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, और मामूली संसाधनों के बीच रहने वाली निर्मला और उनके भाई–बहनों ने एक स्थानीय सरकारी स्कूल में पढ़ाई की।

वर्ष 1992–93 में कक्षा 10 की परीक्षा शुरू होने से ठीक पहले की रात को निर्मला कुमारी के पिता ने उसे अंतिम चेतावनी देते हुए कहा था, "अगर तुम अपनी मेहनत और प्रतिभा के बल पर परीक्षा पास कर सकती हो, तभी तुम्हें इसे देना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम अपने लिए इंटरमीडिएट पास लड़का तलाशने की मेरी परेशानी को ही और ज्यादा बढ़ाओगी।" अपने पिता की टिप्पणी से निराश, लेकिन अपनी पढ़ाई के लिए प्रतिबद्ध निर्मला ने ना सिर्फ हाई स्कूल की परीक्षा दी, बल्कि वह द्वितीय श्रेणी के साथ परीक्षा में उत्तीर्ण भी हुई। निर्मला इस घटना को अपने जीवन भर सीखने के सफर में अपनी पहली सफलता के रूप में याद करती हैं। निर्मला की उम्र अब 45 वर्ष है। उनका जन्म बिहार के नालंदा जिले के नगर नौसा ब्लॉक के खापुरा गांव में हुआ था। वहीं पर उनका बचपन बीता और वह अपनी चार बहनों और दो भाइयों के साथ पली–बढ़ीं। निर्मला को जब पोलियो हुआ, तब वह केवल एक वर्ष की थीं। पोलियो की वजह से उनका बायां पैर दिव्यांग हो गया। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, और मामूली संसाधनों के बीच रहने वाली निर्मला और उनके भाई–बहनों ने एक स्थानीय सरकारी स्कूल में पढ़ाई की। 16 साल की उम्र में 10वीं की परीक्षा पूरी करने के तुरंत बाद निर्मला की शादी हो गई। उनके समुदाय मे ंतब यह कोई असामान्य या अजीब सी बात नहीं थी।

उनके पति का परिवार उसी ब्लॉक के अरियामा गांव का रहने वाला था। निर्मला ने बताया कि वह गांव, "इतना पिछड़ा था कि वहां किसी भी महिला को कभी भी पढ़ने, काम करने और बाहर जाने की अनुमति नहीं थी।" वह कहती हैं कि उनका पति, जो अब एक पशु चिकित्सक है, बेहद विनम्र और समझदार व्यक्ति था। उसने वर्ष 2018 में निर्मला को एक मोबाइल फोन दिया और उसे किशोरी केंद्र (किशोरावस्था केंद्र) के साथ अनुदेशिका के रूप में काम करने के लिए नामांकित करके गांव में लड़कियों को पढ़ाने का आग्रह किया। किशोरी केंद्र छह साल और उससे अधिक उम्र की उन लड़कियों को शिक्षा के लिए फिर से संगठित करने में जुटा था, जिन्होंने स्कूली शिक्षा को बीच में ही छोड़ दिया था।

किशोरी केंद्र में निर्मला ने लगभग 50 लड़कियों को पढ़ाया, जिनमें से 30 लड़कियों को उच्च–प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय में फिर से नामांकित किया गया। सामुदायिक शिक्षा और जागरूकता अभियानों में सफलता का यह उनका पहला अनुभव था। निर्मला गर्व के साथ कहती हैं, "मेरी दो लड़कियों ने सफलता हासिल की है और अपने लिए करियर का निर्माण किया है।" इसके बाद निर्मला ने अपनी आगे की शिक्षा और आर्ट्स में स्नातक की डिग्री पूरी की। स्नातक की डिग्री हासिल करने के बाद निर्मला के लिए तरक्की के तमाम दरवाजे खुल गए। उन्होंने बिहार सरकार के 'जीविका' कार्यक्रम के साथ जॉब रिसोर्स पर्सन के रूप में काम किया, जहां उन पर वर्ष 2018 तक युवा कौशल और रोजगार का उत्तरदायित्व था। उस समय जीविका महिलाओं के स्वास्थ्य, प्रसवपूर्व, गर्भावस्था और नवजात की देखभाल पर केंद्रित एक 'मोबाइल वाणी' कार्यक्रम चला रही थी। इस कार्यक्रम में निर्मला की बहुत अधिक दिलचस्पी थी। मोबाइल वाणी के कई मंचों, जैसे सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, महिलाओं का स्वास्थ्य, नागरिक अधिकार, उपयोगी उत्पादों की जानकारी जैसे और स्व–विवेक द्वारा कवर किए गए कई मुद्दों की बड़ी सूची से प्रेरित होकर निर्मला ने इस आंदोलन में शामिल होने का निर्णय किया। ग्रामीण महिलाओं के बीच मोबाइल साक्षरता बढ़ाने यानी उन्हें मोबाइल के उपयोग की जानकारी देने की तरफ अपना ध्यान केंद्रित किया। निर्मला ने महिला समूहों के साथ कई ऐसे सत्रों का भी आयोजन किया, जिनमें उन्हें दिखाया जा सके कि मोबाइल के माध्यम से किस प्रकार पैसे भेजे और प्राप्त किए जाते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाया जाता है, बैंक खाते में मौजूद अपनी बचत शेष राशि को देखा जाता है, किस प्रकार पासबुक अपडेट की जाती और सुरक्षित बैंकिंग को कैसे किया जाता है। इसके साथ ही उन्होंने महिलाओं को यह करके दिखाया कि मोबाइल के माध्यम से किस प्रकार माइक्रोक्रेडिट ऋण के लिए आवेदन किया जाता है और डिजिलॉकर जैसे सुविधाजनक डिजिटल संग्रह का किस प्रकार उपयोग किया जाता है।

निर्मला का उन सभी महिलाओं को समझाने का नजरिया, जो महिलाएं टेक्नोलॉजी से बिलकुल अनजान हैं और इसके बारे में कुछ जानना भी नहीं चाहती हैं, एक लिहाज से महिला सशक्तिकरण की दिशा में स्वयं के अनुभव से निकला तरीका है।

निर्मला का उन सभी महिलाओं को समझाने का नजरिया, जो महिलाएं टेक्नोलॉजी से बिलकुल अनजान हैं और इसके बारे में कुछ जानना भी नहीं चाहती हैं, एक लिहाज से महिला सशक्तिकरण की दिशा में यह निर्मला के अपने स्वयं के अनुभव से निकला तरीका है। निर्मला अपने दृढ़निश्चय से सैकड़ों महिलाओं का ना केवल नेतृत्व कर सकती हैं, बल्कि उन्हें सक्षम भी बना सकती हैं। जाहिर है कि इसका श्रेय उनकी शिक्षा को जाता है। अपनी साथी स्वंयसेविकाओं के साथ वह नगर नौसा और चंडी ब्लॉक में लगभग 15,000 महिलाओं तक संपर्क स्थापित कर चुकी हैं और उन्हें अपने मोबाइल के माध्यम से ना सिर्फ प्रशिक्षित कर रही हैं, बल्कि उन्हें सशक्त भी बना रही हैं। शारीरिक रूप से दिव्यांग एक ग्रामीण महिला और तीन बच्चों की मां निर्मला ने कभी नहीं सोचा था कि वह उस बदलाव को ला सकती हैं, जिसे वह देखना चाहती हैं। उन्हें असली संतुष्टि और खुशी तब महसूस होती है, जब वह किसी गांव में जाती हैं और वहां के बच्चे उन्हें पहचान कर चिल्लाते हैं, "मोबाइल वाणी वाली दीदी आ गई।" **(ओआरएफ हिंदी से साभार लेख का संपादित अंश)**

अररिया जिले के युवाओं ने आपदाओं से लड़ने को कसी कमर

आपदा जोखिम न्यूनीकरण विषय पर सामुदायिक स्वयंसेवकों का प्रशिक्षण

हमारा बिहार बहु–आपदा प्रवण राज्य है। फलतः हमारे गांव, पंचायतों, प्रखण्ड एवं जिलों में विभिन्न तरह की आपदाएं आती रहती हैं। पंचायतों में कुछ नौजवान आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन हेतु जरूरी ज्ञान और हुनर सीख लें तो वे अपने गांव, पंचायत, प्रखंड एवं जिले को आपदाओं से सुरक्षित रख सकते हैं। इस उद्देश्य हेतु प्रशिक्षण के माध्यम से बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण राज्य के नौजवानों/नवयुवतियों को प्रशिक्षित कर आपदाओ के प्रत्युत्तर हेतु तैयार कर रहा है ताकि आपदाओं से सुरक्षा प्रदान करने में वे अपने समुदाय के मददगार हो सकें। इसी क्रम में सितम्बर माह में 19 तारीख से 30 तारीख के बीच अररिया जिला के कुल 86 स्वयंसेवकों को दो बैचों में राज्य आपदा मोचन बल एवं नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान बिहटा, पटना में 12 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रशिक्षित किया गया। इस तरह सितम्बर माह तक पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, प0 चम्पारण, पूर्वी चम्पारण एवं अररिया जिले के कुल 649 स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

शहरी क्षेत्र के सामुदायिक स्वयंसेवकों (टास्क फोर्स) का प्रशिक्षण

विभिन्न आपदाओं में होने वाले जानमाल के नुकसान की रोकथाम के लिए बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण सामुदायिक स्वयंसेवकों की फौज तैयार कर रहा। इस उद्देश्य से पटना जिले के राजेंद्र नगर एवं कंकड़बाग क्षेत्र में कार्यरत स्वयंसेवी संस्था युगान्तर के आपदा जोखिम न्यूनीकरण से जुड़े टास्क फोर्स की नवयुवतियों (वॉलंटियर) का सितम्बर माह में तीन दिवसीय प्राशिक्षण दो बैच में संपन्न हुआ। दिनांक 21/09/2022 से 23/09/2022 एवं 28/09/2022 से 30/09/2022 में कुल 60 नवयुवतियों को विभिन्न आपदाओं से बचाव व रोकथाम के उपायों के संदर्भ में प्रशिक्षित किया गया। इस तरह सितम्बर माह तक पटना जिले की कुल 90 नवयुवतियों को प्रशिक्षित किया गया है। प्रशिक्षण में शामिल नवयुवतियों को बाढ़, भूकंप, अगलगी, सड़क दुर्घटना समेत अन्य आपदाओं से बचाव की जानकारी और प्राथमिक उपचार के तरीके बताए गए।

"आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोडमैप" को अद्यतन किए जाने की कवायद

"

आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोडमैप" को संशोधित एवं अद्यतन किए जाने की बाबत माननीय उपाध्यक्ष, डा॰ उदय कांत मिश्र, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अध्यक्षता में **दिनांक 16.09.2022 को प्राधिकरण सभाकक्ष** में विभिन्न पहलुओं पर विमर्श किया गया। रोडमैप के अध्ययन एवं अनुश्रवण संबंधी जिम्मेवारी तय करते हुए ग्रुपवार विभिन्न सदस्यों को नामित किया गया। उक्त कार्य हेतु आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा गवर्निग एवं वर्किंग समितियों का गठन किया गया है। वर्किंग ग्रुप अपने उत्तरदायित्व के अनुसार एक सुनिश्चित समयावधि में सुझावों/ संशोधन संबंधी प्रस्ताव उपलब्ध कराएगा जिसके आलोक में आगामी बैठक में अध्यायवार विमर्श उपरांत आवश्यक संशोधन रोडमैप में किया जाना है।

<u>विभागीय नोडल पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन के साथ बैठक–सह–कार्यशाला</u>

आपदा जोखिम न्यूनीकरण के सन्दर्भ में विभागवार क्रियान्वयन एवं उत्तरदायित्व के दृष्टिकोण से बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, सभाकक्ष, पटना में दिनांक 23.09. 2022 को बैठक–सह–कार्यशाला का आयोजन किया गया। कुल 32 सबंधित विभागों के आपदा प्रबंधन, नोडल पदधिकारियों के साथ विभिन्न आपदाओं के सन्दर्भ में विभागवार आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु तैयारी एवं उत्तरदायिवत्व, विभागीय आपदा प्रबंधन योजना, राज्य आपदा शमन निधि (SDMF) की जानकारी व क्रियान्वयन तथा आपदा प्रबंधन संबंधी विभागीय सुदृढ़ीकरण (मानव संसाधन) विषयों पर प्राधिकरण के विषय विशेषज्ञों द्वारा प्रस्तुति दी गई तथा विषय अधारित संवेदीकरण किया गया।

वज्रपात से बचाव व रोकथाम के उपायों पर मंथन

दिनांक 16.09.2022 को माननीय उपाध्यक्ष, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अध्यक्षता में_राज्य में वज्रपात से होनेवाली मृत्यु को कम करने हेतु रोकथाम के उपायों के संबंध में तड़ित चालक एवं हूटर/सायरन लगाये जाने के लिए बैठक में विस्तृत विमर्श किया गया। सायरन जल मीनारों पर लगाने पर चर्चा हुई और लोक स्वास्थ्य अभियन्त्रण विभाग को सभी पंचायतों में स्थापित जल मीनार की विवरणी उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। पंचायती राज विभाग के प्रतिनिधि द्वारा कहा गया कि पंचायतों में प्राथमिक स्कूल/पंचायत भवन पर तड़ित चालक लगाए जाने की आवश्यकता है। उक्त विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि वज्रपात से बचाव एवं रोकथाम हेतु तीन स्तरों पर कार्य करने की आवश्यकता है :

- ❖ तकनीकी रूप से सुदृढ़ तड़ित चालक का अधिष्ठापन।
- ❖ खेतों/खुले स्थानों पर स्थानीय संसाधन से बने तड़ित चालक को लगाया जाना।
- ❖ जन जागरूकता एवं जल मीनार पर सायरन/हूटर का अधिष्ठापन।

माननीय उपाध्यक्ष द्वारा दिनांक 26.09.2022 को अन्य संबंधित फर्म आदि को बुलाकर तकनीकी पहलुओं के सन्दर्भ में बैठक का आयोजन किए जाने हेतु निदेशित किया गया।

राज्य में वज्रपात संबंधी घटनाओं में वृद्धि के दृष्टिगत विभिन्न संवेदनशील चिन्हित स्थानों पर एरेस्टर एवं हूटर/सायरन आदि के अधिष्ठापन हेतु दिनांक 16.09.2022 के बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में वस्तु विशेष विवरणी पर प्रस्तुति हेतु दिनांक 26.09.2022 को बैठक का आयोजन किया गया। उक्त बैठक में विशेष कार्य पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन, समादेष्टा, राज्य आपदा मोचन बल, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, उर्जा विभाग, पंचायती राज विभाग, जीविका, कृषि विभाग एवं संबंधित फर्म ने भाग लिया। बैठक में सबंधित फर्मो द्वारा प्रस्तुति दी गयी जिसके आलोक में एक समिति का गठन करते हुए यह निर्णय लिया गया कि समिति तडित चालक एवं हूटर का तकनिकि दृष्टिकोण से प्रस्ताव पर अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कर प्रतिवेदन प्राधिकरण स्तर पर उपलब्ध कराएगा।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के स्थापना दिवस समारोह में भागीदारी

28 सितंबर को नई दिल्ली में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के 18वें स्थापना दिवस समारोह में बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की भी भागीदारी रही। सामुदायिक वॉलंटियर (आपदा मित्र) कार्यक्रम के अंतर्गत बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण राज्य के नौजवानों/नवयुवतियों को प्रशिक्षित कर आपदाओ के प्रत्युत्तर हेतु तैयार कर राज्य के वालंटियर की गतिविधियों पर प्रस्तुति दी गई जिसमें उनके द्वारा आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए किए गए सराहनीय कार्यो एवं भविष्य में इनकी उपयोगिता के सबंध में प्रकाश डाला गया। बिहार राज्य के अररिया, पूर्णिया एवं मुजफ्फरपुर जिले से चार वॉलंटियर द्वारा प्रदर्शनी गैलरी में आपदा प्रत्युत्तर किट का प्रदर्शन करते हुए माननीय गृह राज्य मंत्री को कार्यक्रम की जानकारी दी गई।

बालक/बालिकाओं का समुदाय स्तर पर तैराकी एवं जीवन रक्षा कौशल का प्रशिक्षण

राज्य में डूबने से होने वाली मौतों की रोकथाम एवं उनमें कमी लाने के उद्देश्य से सुरक्षित तैराकी कार्यक्रम के अंतर्गत गया जिले के फतेहपुर, वजीरगंज एवं टनकुप्पा प्रखण्डों में जिला प्रशासन द्वारा चिन्हित प्रशिक्षण स्थलों पर 06 से 18 आयु वर्ग के बालकों का प्रशिक्षण सितंबर माह 2022 में संचालित किया गया। उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम का क्रियान्वयन संबंधित जिला प्रशासन द्वारा नीनी, पटना में प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर्स के सहयोग से किया जाता है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, गया द्वारा उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत बालकों का 12 दिवसीय तैराकी एवं जीवन रक्षा कौशल विकास के प्रशिक्षण को सम्पन्न करवाया गया। सितंबर माह 2022 में गया जिले के फतेहपुर एवं टनकुप्पा प्रखण्ड में कुल 98 बालकों को तैराकी एवं जीवन रक्षा कौशल का प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इस प्रकार अभी तक कुल 1222 +98 = 1320 बालक/बालिकाओं को तैराकी एवं जीवन रक्षा कौशल का प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है।

एनसीसी के शिविरों में आपदाओं के बारे में जागरूकता/संवेदीकरण एवं मॉकड्रिल

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा एनसीसी उड़ान एवं एसडीआरएफ के सहयोग से एनसीसी के कैडेट्स को सड़क सुरक्षा के उपायों, प्राथमिक उपचार एवं अन्य प्राकृतिक एवं मानवजनित आपदाओं के बारे में जागरूकता/संवेदीकरण एवं मॉकड्रिल राज्य के विभिन्न जिलों में आयोजित एनसीसी शिविरों के दौरान सम्पन्न करवाया जाता है। उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत सड़क सुरक्षा जागरूकता एवं प्रचार–प्रसार हेतु सड़क दुर्घटनाओं से बचाव के उपाय, डूबने की घटनाओं की रोकथाम से बचाव के उपाय, ठनका से बचाव के उपाय, भूकंप से बचाव हेतु हस्त–पुस्तिकाओं / प्रचार –प्रसार सामग्रियों का वितरण (क्या करें, क्या नहीं करें), अस्पताल पूर्व चिकित्सा विषय पर प्रशिक्षण तथा एस0डी0आर0एफ0 के द्वारा विभिन्न आपदाओं से बचाव हेतु मॉकड्रिल कराया जाता है। यह कार्यक्रम सितंबर माह 2022 में एनसीसी ग्रुप मुख्यालय, पटना, आरबी कॉलेज, दलसिंहसराय, ओटीसी, बरौनी, एमपी कॉलेज, मोहनिया, चाकंद हाई स्कूल, गया आदि जगहों पर आयोजित किया गया जिसमें कुल 3240 कैडेट को आपदा से बचाव और प्राथमिक उपचार के तरीके बताए गए।

जिलास्तरीय सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा विभिन्न हितभागियों के साथ मिलकर सड़क सुरक्षा के संबंध में जागरूकता कार्यक्रम 30 नवम्बर, 2019 से प्रारंभ किया गया। इस कार्यक्रम में परिवहन विभाग एवं निर्माण कला मंच आदि के साथ–साथ अन्य संगठनों के सहयोग से विभिन्न जिलों से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग एवं जिले के अन्य प्रमुख सड़कों के किनारे एवं आस–पास के अवस्थित उच्च एवं माध्यमिक विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में आयोजित किया जाता है। उक्त कार्यक्रम में सड़क सुरक्षा जागरूकता एवं प्रचार–प्रसार हेतु सड़क दुर्घटनाओं संबंधी वीडियो क्लिप्स (क्या करें, क्या नही करें) का प्रदर्शन, चित्रकारी प्रतियोगिता, नुक्कड़ नाटक, अस्पताल पूर्व चिकित्सा विषय पर प्रशिक्षण, सड़क सुरक्षा हेतु शपथ, प्रचार–प्रसार सामग्रियों का वितरण आदि गतिविधियों का संचालन किया जाता है। सितंबर, 2022 में उक्त कार्यक्रम उल्लिखित जिलों के कुल 12 विद्यालयों/ स्थानों पर आयोजित किया गया जिसमें लगभग 2195 छात्र/छात्राओं एवं शिक्षक/शिक्षिकाओं/समुदाय के लोगों ने भाग लिया।

बिहार पुलिस सेवा के पदाधिकारी आपदाओं से जूझने को तैयार

प्राधिकरण द्वारा बिहार पुलिस सेवा के पदाधिकारियों का ''आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन'' विषय पर तीन दिवसीय व्यावसायिक प्रशिक्षण बिपार्ड के सहयोग से चलाया जाता है। बिहार पुलिस सेवा के अधिकारी राज्य, जिला एवं अनुमंडल स्तर पर विधि व्यवस्था संधारण, अपराध नियंत्रण एवं आमजन को सुरक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते ही हैं, मानवजनित एवं प्राकृतिक आपदाओं में भी राज्य की ओर से प्रथम रिस्पांडर का कार्य करते हैं। विशेषकर मानवजनित आपदाओं, जैसे भगदड़, सड़क/रेल/हवाई दुर्घटनाओं एवं अगलगी में इनकी भूमिका प्राथमिक महत्व की हो जाती है। साथ ही वे प्राकृतिक आपदाओं की दशा में राहत एवं बचाव कार्यों के सुचारू संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अतएव यह आवश्यक हो जाता है कि आपदा प्रबंधन की बदलती अवधारणा की पृष्ठभूमि में ''आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन'' विषय पर इनका क्षमतावर्द्धन किया जाए।

उल्लिखित कार्यक्रम का शुभारंभ नवम्बर माह 2019 में किया गया। जून माह 2022 तक कुल 09 बैचों में 217 पदाधिकारियों का प्रशिक्षण सम्पन्न किया गया। जुलाई माह, 2022 में 10वें एवं 11वें बैच में कुल 78 पदाधिकारियों का प्रशिक्षण प्रदान किया गया। 12वें बैच में (दिनांक 5–7 सितंबर 2022) में कुल 37 पदाधिकारियों, 13वें बैच में (14 –16 सितंबर) कुल 44 पदाधिकारियों एवं 14वें बैच में (26 –28 सितंबर 2022) कुल 28 पदाधिकारियों ने भाग लिया। इस प्रकार कुल अभी तक 404 पुलिस सेवा के पदाधिकारियों ने प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है। इस प्रशिक्षण में मानवजनित आपदाओं में पुलिस की भूमिका, प्राकृतिक आपदाओं में पुलिस की भूमिका, भीड़ प्रबंधन, अस्पताल पूर्व चिकित्सा, अग्नि एवं भूकम्प सुरक्षा पर मॉकड्रिल आदि के बारे में विशेषज्ञों के द्वारा जानकारी दी गयी।

जिला आपदा प्रबंधन योजनाओं का अनुमोदन

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, भागलपुर, खगड़िया, बेगूसराय एवं बांका जिलों की आपदा प्रबंधन योजनाओं को बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित करके उक्त जिलों के जिला पदाधिकारी सह अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को भेज दिया गया है। साथ ही प्रत्येक वर्ष इन योजनाओं का अद्यतन किए जाने का अनुरोध भी किया गया है। इसी तरह अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण–सह–जिला पदाधिकारी, किशनगंज की अध्यक्षता में दिनांक 29.09.2022 को जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में प्राधिकरण के परियोजना पदाधिकारी के द्वारा जिला आपदा प्रबंधन योजना की महत्ता एवं आवश्यकता की जानकारी दी गई। योजना के तहत प्रत्येक वर्ष दो बार सभी विभागों के साथ आपदा पूर्व तैयारियों की समीक्षा एवं जिला आपदा प्रबंधन योजना को प्रत्येक वर्ष अद्यतन किया जाना अनिवार्य है।

उत्तर बिहार के चार जिलों, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और पश्चिमी चंपारण (बेतिया) की जिला आपदा प्रबंधन योजना (डीडीएमपी) को अंतिम रूप देने का कार्य प्रगति पर है। मुजफ्फरपुर में जिलाधिकारी के साथ बैठक कर डीडीएमपी की समीक्षा की गई और महीने के अंत तक इसे पूरा कर भेजने हेतु प्रभारी पदाधिकारी को जिलाधिकारी महोदय ने आवश्यक निदेश दिया। सीतामढ़ी और बेतिया जिले का भी कार्य शुरू किया गया है तथा जिला स्तर पर लगभग अद्यतन कार्य पूरा हो चुका है। इन सभी जिलों से जिलाधिकारी द्वारा डीडीएमपी अग्रसारित होकर आना बाकी है। दिनांक 30 सितंबर को पश्चिमी चंपारण जिला का डीडीएमपी जिले से अनुमोदनार्थ प्राप्त हुआ है। इसी तरह भोजपुर, जहानाबाद, लखीसराय, शिवहर, सहरसा, जमुई, शेखपुरा, मधेपुरा, गोपालगंज, सीवान, सारण, बक्सर जिलों की आपदा प्रबंधन योजनाओं को भी अद्यतन करते हुए अंतिम रूप दिया जा रहा है। शीघ्र ही इन्हें प्राधिकरण स्तर से अनुमोदित कर दिया जाएगा।

जागरुकता कार्यक्रम के तहत मास मैसेजिंग, पंफलैट व हैंडबिल आदि का वितरण

विभिन्न आपदाओं में 'क्या करें, क्या न करें की जानकारी एसएमएस के माध्यम से लाखों की संख्या में राज्य की जनता को दी जाती है। प्राधिकरण में उपलब्ध विभिन्न मोबाइल नंबर जैसे जिला पदाधिकारी, एडीएम, बीडीओ, सीओ के साथ–साथ प्रशिक्षित फोकल टीचर, नाव एवं नाव मालिक, पंचायत जनप्रतिनिधि, जीविका दीदी, आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सेविका एवं प्राधिकरण द्वारा प्रशिक्षित अभियंताओं एवं राजमिस्त्रियों समेत अन्य लगभग 36 लाख नंबर पर सामूहिक संदेश संप्रेषण (मैसेजिंग) नियमित रूप से किए जाते हैं। अगस्त, 2022 में कुल 4736274 मास मैसेजिंग किए गए।

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के बैनर तले आपदाओं से बचाव के लिए जागरूकता अभियान के तहत दानापुर रेलवे स्टेशन पर 23 सितंबर को प्रचार सामग्री का वितरण किया गया। होर्डिंग और स्टैंडी लगाकर लोगों को विभिन्न आपदाओं की स्थिति में क्या करें, क्या ना करें की जानकारी दी गई। पंफलैट व हैंडबिल आदि का वितरण वहां मौजूद यात्रियों के बीच किया गया। भीड़भाड़ वाली जगहों पर नियमित अंतराल पर ऐसे जागरूकता शिविर प्राधिकरण की ओर से आयोजित किए जाते हैं।

बिहार सरकार
सहकारिता विभाग
एक सब के लिए, सब एक के लिए
बिहार राज्य फसल सहायता योजना
खरीफ 2022
अधिसूचित फसलें
धान
मक्का
सोयाबीन
योजना की प्रमुख विशेषताएँ :-
ऑनलाईन आवेदन करने में आवश्यकतानुसार विभागीय कॉल सेन्टर एवं स्थानीय अधिकारियों द्वारा सहायता। 1
रैयत एवं गैर रैयत तथा आंशिक रूप से रैयत एवं गैर रैयत दोनों श्रेणी के किसानों के लिए। 2
खरीफ मौसम के सभी प्रमुख फसलें यथा - अगहनी धान, भदई मकई एवं सोयाबीन (समस्तीपुर, खगड़िया एवं बेगुसराय के लिए) शामिल 3
नि:शुल्क आवेदन प्रक्रिया। 4
7500 रु प्रति हेक्टेयर (20% तक क्षति होने पर)। 5
10000 रु प्रति हेक्टेयर (20% से अधिक क्षति होने पर) 6
खरीफ - 2022 हेतु निम्न में से किसी भी एक माध्यम से आवेदन कर सकते है :-
सहकारिता विभाग के विभागीय पोर्टल – https://state.bihar.gov.in/cooperative
मोबाइल पोर्टल ई-सहकारी मोबाइल एप्प (प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है)
कॉल सेंटर (सुगम) पर फ़ोन के माध्यम से - (टोल फ्री न0 - 18001800110)
आवेदन की अवधि - 01 अगस्त 2022 से 31 अक्टूबर 2022 तक निर्धारित है।
आवेदन के समय किसानों को सिर्फ फसल एवं बुआई का रकवा की जानकारी देनी है।
योजनान्तर्गत आवेदन एवं सहायता राशि के भुगतान की आसान प्रक्रिया :-
कृषि विभाग के डी.बी.टी. पोर्टल पर निबंधित किसान सीधे योजना के अन्तर्गत आवेदन कर सकेंगे।
आवेदन विभागीय ई-सहकारी पोर्टल के अतिरिक्त ई-सहकारी मोबाईल एप्प, आई.भी.आर.एस. (सुगम) कॉल सेन्टर (टोल फ्री न0 - 18001800110) एवं प्रखण्ड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी/कार्यपालक सहायक के तकनीकी सहयोग से किया जा सकेगा।
आवेदन के समय किसानों को सिर्फ फसल एवं बुआई का रकवा की जानकारी देनी है।
फसल कटनी प्रयोग आधारित उपज दर आकड़ों के आधार पर योग्य ग्राम पंचायतों के चयन के पश्चात उन चयनित ग्राम पंचायत के आवेदक किसानों को निम्नानुसार दस्तावेज अपलोड करने की आवश्यकता होगी :-
रैयत किसान
1. अद्यतन भू-स्वामित्व प्रमाण-पत्र/ राजस्व रसीद (31 मार्च 2022 के पश्चात निर्गत) 2. स्व घोषणा-पत्र
गैर रैयत किसान
1. स्व घोषणा-पत्र (वार्ड सदस्य अथवा किसान सलाहकार द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित)
रैयत एवं गैर रैयत दोनों श्रेणी के किसान
1. अद्यतन भू-स्वामित्व प्रमाण-पत्र/ राजस्व रसीद (31 मार्च 2022 के पश्चात निर्गत) 2. स्व घोषणा-पत्र (वार्ड सदस्य अथवा किसान सलाहकार द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित)
योजना के निर्देशों के तहत चयनित ग्राम पंचायतों के आवेदक किसानों को सत्यापनोपरान्त DBT के माध्यम से आधार लिंक्ड बैंक खाता में सहायता राशि का भुगतान।
नोट :- एक फसल से ज्यादा फसलों के चयन की सुविधा।
योजना अंतर्गत अधिकतम 2 हेक्टेयर प्रति किसान हेतु सहायता राशि का भुगतान।
नगर पंचायत / नगर परिषद् क्षेत्र के किसान भी योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु योग्य।
PR No.- 8775 (Co-operative)D. 2022-23
• अधिक जानकारी के लिए – https://state.bihar.gov.in/cooperative अथवा कॉल सेंटर (सुगम) टोल फ्री नं0 - 18001800110 पर संपर्क करे।